

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली-11001

सं. 24/2015/ईआरएस/ वाल्यूम-II/

दिनांक:- 26 अगस्त, 2015

सेवा में,

- 1=50 प्रतियां 1. संयुक्त सचिव (स्था./पी जी) एवं सी वी ओ
रक्षा मंत्रालय
साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली ।
- 2=25 प्रतियां 2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार
गृह मंत्रालय,
नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली ।
- 3=200 प्रतियां 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन)
विदेश मंत्रालय,
साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110011
- 4=25 प्रतियां 4. निदेशक
सीमा सड़क महानिदेशालय,
सीमा सड़क भवन,
रिंग रोड, दिल्ली छावनी,
नई दिल्ली-110010

विषय: 01.01.2016 की अर्हक तिथि के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से सम्बंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का सार पुनरीक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने 01 जनवरी, 2016 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों (बिहार को छोड़कर) में **निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का सार पुनरीक्षण** करने का निर्णय लिया है।

2. 1 जनवरी, 2015 की अर्हक तिथि के संदर्भ में सार पुनरीक्षण के बाद 31 जुलाई, 2015 को अंतिम रूप से प्रकाशित नामावली में पिछले सभी वर्षों की

अनुपूरक नामावलियां एकीकृत की गई हैं। निर्वाचक नामावलियों का मौजूदा अंतिम भाग संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है (सीईओ की वेबसाइट के लिंक आयोग की वेबसाइट <http://eci.nic.in> पर उपलब्ध हैं)। वर्तमान पुनरीक्षण का आदेश ऐसे अन्य सभी पात्र सेवा मतदाताओं का नाम नामावली में दर्ज करने के लिए दिया जा रहा है जो 01.01.2016 को 18 वर्ष या इससे अधिक के होंगे और जो बारम्बार तैनातियों या किसी अन्य कारण की वजह से विगत वर्षों में ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सके थे या जो लोग अपनी पूर्ववर्ती घोषणाओं में बदलाव करने की इच्छा रखते हैं। यह भी अनुरोध किया जाता है कि नामावलियां पूरी तरह त्रुटिमुक्त बनाई जाएं, यह कि ऐसे व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए जो मृत्यु, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण या किन्हीं कारणों की वजह से सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र न रह गए हों। इसके तदनन्तर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियत प्रक्रिया का अनुपालन करने के उपरांत संबंधित ईआरओ से ऐसे नामों को हटवाएंगे।

पात्र सेवा कार्मिक

3. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 की उप-धारा (8) के अंतर्गत “सेवा अर्हता” वाली निम्नलिखित श्रेणियों के प्रत्येक व्यक्ति के नाम दर्ज होते हैं-

(क) संघ के सशस्त्र बलों के एक सदस्य होने के नाते; या

(ख) ऐसे बल का एक सदस्य होने के नाते जिस पर सेना अधिनियम; 1950 (1950 का 46) के उपबंध, संशोधन सहित या उसके बिना, लागू किए गए हैं,

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के एक सदस्य होने, और उस राज्य से बाहर सेवा करने के नाते; या

(घ) एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर के किसी पद पर तैनात हों।

4. ऊपर उल्लिखित चार में से किसी एक श्रेणी के सेवा मतदाता की पत्नी, जो साधारणतया उनके साथ निवास करती हों, भी अपने पति के साथ एक निर्वाचक के रूप में निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकृत होने के लिए पात्र हैं।

5. निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में एक निर्वाचक के रूप में पंजीयन के प्रयोजन से ऊपर उल्लिखित सेवा अर्हता वाले प्रत्येक व्यक्ति को विहित सांविधिक फार्म 2, 2क या 3 (निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न), जो भी लागू हो, उसमें मांगे गए पूर्ण विवरणों का उसमें उल्लेख करते हुए, में आवेदन करना होगा। तत्काल संदर्भ के लिए उक्त फार्मों में से प्रत्येक की एक प्रति संलग्न है। ये फार्म आयोग की वेबसाइट <http://eci.nic.in> पर शीर्षक “ई-नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए फार्म” के

अंतर्गत भी उपलब्ध हैं। सेवा अर्हता वाले प्रत्येक व्यक्ति को विधिवत रूप से भरे हुए उक्त फार्म की **दो प्रतियां** संबंधित रिकार्ड कार्यालय या प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी हैं।

6. सेवा अर्हता वाले ऐसे व्यक्ति (उनसे इतर जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत हैं) और जो एक ऐसे स्थान पर तैनात हैं जो उनके सामान्य निवास का वास्तविक स्थान है और जो अधिनियम की धारा 20(3) के अंतर्गत विधिक कल्पित अधिवास का स्वयं लाभ उठाने की इच्छा नहीं रखते हैं और वे पीस स्टेशन में सेवारत/तैनात हैं, को उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंधित भाग/मतदान केंद्र में सामान्य निर्वाचकों के रूप में अपने आपको पंजीकृत करवाने का विकल्प है जिसमें उनके निवास का वास्तविक स्थान शामिल है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट अग्रिम चौकियों की तैनातियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

7. सामान्य रूप से निवासी होने और पीस स्टेशन में सेवारत/तैनात होने के नाते निवास के वास्तविक स्थान पर निर्वाचक नामावली के सामान्य भाग में एक निर्वाचक के रूप में पंजीयन के प्रयोजनार्थ व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 से संलग्न फार्म-6 में आवेदन दाखिल करके अपने आपको सामान्य निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत करवा सकते हैं न कि सेवा निर्वाचकों के रूप में।

अंतिम भाग में पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करें

8. चूंकि, आदेशित पुनरीक्षण अंतिम भाग का संक्षिप्त पुनरीक्षण है इसलिए प्रत्येक पात्र सेवा मतदाता या कोई जो अपनी पूर्व की घोषणा बदलना चाहता है/चाहती है को अपना कथन निर्धारित फार्म 2, 2क, या 3, यथामामला, में प्रस्तुत करना होता है। यदि ऐसा कोई सेवा मतदाता उपरोक्त कथन जमा कराने में असफल रहता है/रहती है तो उसका नाम अंतिम हिस्से में नहीं जोड़ा जाएगा। अतः, रिकार्ड कार्यालय/संबंधित प्राधिकारियों को उन सभी सेवा मतदाताओं से, जो 01.01.2016 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु के होंगे परंतु उनके नाम पहले ही सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं या वे जो अपनी विद्यमान घोषणा को बदलना चाहते हैं निर्धारित प्रपत्रों में कथन प्राप्त करने का निदेश दिया जाए।

भारत से बाहर भारत सरकार के अधीन नियुक्त के अलावा, सभी सेवा मतदाताओं द्वारा कथन के साथ “घोषणा” का प्रस्तुतीकरण।

9. फार्म 2, 2क, यथामामला में कथन भरने के उपरान्त, सेवा मतदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे “घोषणा” जिसका नमूना इस पत्र के साथ संलग्न है, को भरें और उस पर हस्ताक्षर करें। जब कोई सेवा मतदाता, फार्म 2, 2क, यथामामला, भरता है तो उसे, उक्त फार्म में उसके द्वारा दिए गए पते पर उसके निर्वाचन क्षेत्र की अवस्थिति की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत कर लिया

जाता है। यदि पुरुष सेवा मतदाता घोषणा करता है कि उसकी पत्नी भी उसकी सेवा तैनाती वाले स्थान पर उसके साथ रहती है तो उसे भी उनके पति के साथ अंतिम भाग में पंजीकृत कर लिया जाता है। तथापि महिला सेवा मतदाताओं के पति विधि के अधीन इस सुविधा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं।

10. तथापि, यदि कोई सेवा मतदाता अपने मूल स्थान में पंजीकरण की उपरोक्त सुविधा नहीं चाहता/चाहती है तो वह स्वयं को घर-घर गणना के समय या निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न फार्म 6 में आवेदन भर कर अपनी सेवा/नियुक्ति के स्थान पर अपने निवास के वास्तविक स्थान में एक सामान्य निर्वाचक के तौर पर पंजीकृत करवा सकता है/सकती है।

11. विधि के अधीन, किसी भी व्यक्ति को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से अधिक स्थानों पर या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक के रूप में पंजीकरण नहीं कराना चाहिए। ऐसा कोई भी पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय है। इसलिए, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास सेवा अर्हता है और जो, यथा मामला, सेवा निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए फार्म 2, 2क में आवेदन कर रहा है, संलग्न फार्मेट में घोषणापत्र देगा कि उसने किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में साधारण निर्वाचक के रूप में पंजीकरण नहीं करवाया है।

रिकार्ड कार्यालयों/संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन

12. प्रत्येक रिकार्ड कार्यालय के प्रभारी अधिकारी प्रत्येक सेवा निर्वाचक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जमा कराए गए विवरणों की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवरण में दिए गए सभी ब्योरे पूर्ण और यथातथ्य हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि सेवा मतदाता ने अपने जिले के विवरण सहित अपने गृह नगर/गांव के संबंध में ब्योरे सहित अपने पूरे पते का उल्लेख किया है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा निर्वाचकों ने फार्म 2 या 2क, यथामामला, में अपने विवरणों के साथ निर्धारित घोषणापत्र भी जमा करा दिया है। **घोषणापत्र को डुप्लीकेट प्रतियों में होना आवश्यक नहीं है।**

13. डुप्लीकेट प्रतियों में जमा कराए गए फार्म के सावधानीपूर्वक सत्यापन के पश्चात, रिकार्ड अधिकारी को फार्म में उपलब्ध कराए गए सत्यापन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए। पूर्ण रूप से भरे गए ये फार्म (डुप्लीकेट में) जिनके साथ घोषणापत्र भी संलग्न हो, संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि जिले का मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त/जिला कलेक्टर/जिला अधिकारी होता है (प्रत्येक राज्य में जिस किसी भी पदनाम से जाना जाए) को अग्रेषित किए जाने चाहिए। फार्म और घोषणापत्र अग्रेषित करते समय अग्रेषित किए जाने वाले कथनों के विवरण दर्शाने वाली अग्रेषण सूची भी संलग्न की जानी चाहिए।

14. रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को निदेश दिए जाने चाहिए कि फार्म और घोषणापत्र भारत निर्वाचन आयोग को, दोहराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं भेजे जाने चाहिए। जहां, सेवा मतदाता द्वारा भरे गए पते से संबंधित जिले के नाम का पता लगाना संभव नहीं हो, फार्म को संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ के लिए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के पतों वाली सूची संलग्न है।

15. ऐसा देखा गया है कि बहुधा रिकार्ड कार्यालयों के पास अधूरे पते होने के कारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पावतियों/निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग के उद्धरणों को वापस भेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः रिकार्ड कार्यालयों को निदेश दिए जाएं कि वे पूरी तरह से भरे हुए फार्मों को भेजते हुए, एपीओ संख्या/पिन कोड सहित, यथामामला, पूरा डाक पता भेजें ताकि पावती/नामावली के अंतिम हिस्से के उद्धरण या अन्य कोई पत्र-व्यवहार शीघ्रता से उचित गंतव्य स्थल तक पहुंच सके।

16. 01.01.2016 अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का संक्षिप्त पुनरीक्षण निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा:-

क्र म सं.	संक्षिप्त पुनरीक्षण के चरण	दिनांक
1	जिस तारीख तक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी घोषणाओं सहित दो प्रतियों में विधिवत रूप से सत्यापित फार्म 2, 2क, 3 जिला निर्वाचन अधिकारियों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अग्रेषित करेंगे	16 नवम्बर, 2015 तक
2	निर्वाचक नामावली के अंतिम भागों के मसौदों की तैयारी और उनमें से उद्धरणों को (संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दो प्रतियों में) रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को उनके सत्यापन के लिए भेजना।	15 दिसम्बर, 2015 तक
3	जिस तारीख तक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी, सत्यापन के उपरान्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को एक प्रति	11 जनवरी, 2016 तक

	लौटाएंगे।	
4	सत्यापन के उपरान्त वापिस मिले उद्धरणों के आधार पर संबंधित ईआरओ द्वारा त्रुटियों का निराकरण	22 जनवरी, 2016 तक
5	निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का अंतिम प्रकाशन	30 जनवरी, 2016 को

17. रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को उपरोक्त सभी सेवा मतदाताओं से फार्मों और घोषणापत्रों को प्राप्त करना चाहिए और उचित सत्यापन के पश्चात उन्हें यथाशीघ्र ऊपर उल्लिखित निर्वाचन प्राधिकारियों को **सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (बिहार को छोड़कर) के संबंध में यह किसी भी हालत में 16 नवम्बर, 2015 तक अद्येष्ठित कर देना चाहिए।**

18. केवल उन्हीं सेवा मतदाताओं के नाम जिनके कथन मुख्य निर्वाचन अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों, यथामामला, के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित तारीख से पहले उचित समय पर प्राप्त किए जाते हैं, का नाम नामावलियों के अंतिम भाग में शामिल किया जाएगा। 01.01.2016 (जैसे दिनांक 31 जुलाई, 2015 को मदर रोल का अंतिम प्रकाशन+ अंतिम प्रकाशन के बाद अनुपूरक, यदि कोई हो, + रिकार्ड अधिकारियों/प्राधिकारियों से दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 तक प्राप्त फार्मों के अतिरिक्त अनुपूरक के आधार पर) के संदर्भ में इस प्रकार से तैयारी की गई निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग ड्राफ्ट को **15 दिसम्बर, 2015** तक मुद्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य निर्वाचक अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से रिकार्ड अधिकारियों से या सीधे रिकार्ड अधिकारियों/ प्राधिकारियों से केवल दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 तक प्राप्त फार्मों को निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के ड्राफ्ट के अनुपूरक को तैयार करने के लिए शामिल किया जाएगा क्योंकि फार्मों का निपटान करने, ड्राफ्ट को तैयार करने और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इसके मुद्रण के लिए कम से कम 5 दिन अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, ड्राफ्ट का उद्धरण (कार्यालय वार/ प्राधिकरण वार) (डुप्लिकेट में) संबंधित रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकरणों से सत्यापन करवाने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दिनांक **15 दिसम्बर, 2015** तक भेज दिए जाएं।

19. दिनांक 22 जनवरी, 2016 तक रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों से सत्यापन के उपरान्त वापिस मिले उद्धरणों के आधार पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा, यदि कोई त्रुटियां हैं तो उनका निराकरण करने के पश्चात, निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग का अंतिम प्रकाशन 30 जनवरी, 2016 को किया जाएगा।

20. सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों (बिहार को छोड़कर) में 10 दिसम्बर, 2015 के पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए सेवा मतदाताओं के फार्मों को अनवरत अद्यतन की प्रक्रिया के रूप में **31 जुलाई, 2016** को लाए जाने वाले दूसरे अनुपूरक में शामिल किया जाएगा।

21. निर्वाचक नामावली का अंतिम भाग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में तैयार किया जाता है। अनुवर्ती उद्धरण की सुविधा हेतु इस भाग में नामों को रिकार्ड कार्यालयों के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। नामों को इस प्रकार रिकार्ड-कार्यालयवार वर्गीकृत कर लेने के पश्चात और सूचियों की प्रविष्टि कर लेने के पश्चात निर्वाचकों के कथनों के अंत में अधपन्नों को पूरा कर लिया जाएगा और इस प्रकार से पूर्ण किए गए प्रत्येक विवरण की एक प्रति को तत्काल संबंधित रिकार्ड कार्यालय को वापस कर दिया जाएगा। इन विवरणों को प्रत्येक राज्य के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार व्यवस्थित करके रिकार्ड कार्यालय में रखा जाएगा ताकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा भावी संदर्भों पर आसानी से कार्रवाई की जा सके। कथन की दूसरी प्रति को भी निर्वाचन-क्षेत्रवार व्यवस्थित किया जाएगा और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में फाइल में रखा जाएगा।

22. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी के संबंध में निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग से पहले अनुपूरक के बारे में निर्वाचक नामावली से उद्धरण संबंधित रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकरण को अधिकतम **28 फरवरी, 2016** तक अग्रेषित करेंगे तथा, जहां कहीं आवश्यकता हो दूसरे अनुपूरक के संबंध में **31 जुलाई, 2016** तक अग्रेषित करेंगे।

23. इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों की प्रति कृपया आयोग को इसके रिकार्ड हेतु पृष्ठांकित की जाए।

कृपया पावती दें।

भवदीय,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव

आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. निदेशक (एजी), सेना भवन, नई दिल्ली-110 011
2. निदेशक पीएस - 2, अतिरिक्त महानिदेशालय, कार्मिक सेवाएं एड्जुटेंट जनरल शाखा, कमरा सं. 432, ए-विंग, सेना भवन, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110 001
3. उप निदेशक, नौ-सेना मुख्यालय, कमरा सं. 201, 'ग' विंग, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डी एच क्यू, डाक, नई दिल्ली-110 011
4. संयुक्त निदेशक पी एस (कल्याण), वायु सेना मुख्यालय, वायु भवन, नई दिल्ली
5. निदेशक, महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल, (स्टाफ अनुभाग) ब्लॉक सं. 10, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय रिकार्ड कार्यालय, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, गृह मंत्रालय, पूर्वी ब्लॉक-IX ए, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-66
7. असम राइफल्स, महानिदेशालय असम राइफल्स (रिकार्ड शाखा) शिलांग-793 011
8. महानिरीक्षक (प्रशासन) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (मुख्यालय), मेहराम नगर, देशीय हवाई अड्डे के निकट, नई दिल्ली-110 037
9. महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ब्लॉक सं. 1, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110 003
10. महा निरीक्षक, मुख्यालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ब्लॉक सं. 13, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
11. उप महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल, पूर्वी ब्लॉक-5, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110 006
12. महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल, तटरक्षक मुख्यालय, नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110 001

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

सचिव

सं. - 24/2015 - ई आर एस/ वाल्यूम-II/

दिनांक: 26 अगस्त, 2015

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (बिहार के अलावा) के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई की प्रति अग्रेषित।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का अंतिम भाग, दी गई अनुसूची के अनुसार 01.01.2016 के संदर्भ में अर्हक तिथि के रूप में संक्षिप्त रूप से पुनरीक्षित की जाएगी।

क्रम. स.	प्रस्तावित संक्षिप्त पुनरीक्षण के चरण	दिनांक
1.	जिस तारीख तक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी घोषणाओं सहित दो प्रतियों में विधिवत रूप से सत्यापित फार्म 2, 2क, 3 जिला निर्वाचन अधिकारियों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अग्रेषित करेंगे	16 नवम्बर, 2015 तक
2.	निर्वाचक नामावली के अंतिम भागों के मसौदों की तैयारी और उनमें से उद्धरणों को (संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दो प्रतियों में) रिकॉर्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को उनके सत्यापन के लिए भेजना।	15 दिसम्बर, 2015 तक
3.	जिस तारीख तक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी, सत्यापन के उपरान्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को एक प्रति लौटाएंगे।	11 जनवरी, 2016 तक
4.	सत्यापन के उपरांत वापिस मिले उद्धरणों के आधार पर संबंधित ईआरओ द्वारा त्रुटियों का निराकरण	22 जनवरी, 2016 तक
5.	निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का अंतिम प्रकाशन	30 जनवरी, 2016 को

अब यह महत्वपूर्ण है कि सेवा मतदाताओं द्वारा दिए गए प्रत्येक कथन का विवरण अच्छी तरह से रखा जाए तथा संबंधित रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को उचित समय पर उद्धरण वापिस भेजे जाएं। 2004 से अंतिम भाग के दो पूरक हैं। 30 जनवरी, 2016 को प्रथम अनुपूरक के मुद्रण के लिए 10 दिसम्बर, 2015 तक फार्म 2, 2क तथा 3 में प्राप्त विवरणों को प्रथम पूरक में शामिल किया जाना चाहिए तथा 10 दिसम्बर, 2015 के पश्चात प्राप्त फार्मों को 31 जुलाई, 2016 को प्रकाशित किए जाने वाले दूसरे अनुपूरक में। चूंकि रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को संक्षिप्त पुनरीक्षण 2015 के अनुपूरक और निर्वाचक नामावली के सम्पूर्ण समेकित अंतिम भाग की आपूर्ति पहले ही कर दी गई है, अतः निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के वर्तमान पुनरीक्षण के दौरान

तैयार किए गए अंतिम भाग के केवल अनुपूरकों की ही सत्यापन के लिए संबंधित रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को आपूर्ति की जानी है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सख्त अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वे नामावली के अंतिम भाग के उद्धरणों सहित अनुपूरक में समाविष्ट विवरणों के अधपन्ने संबंधित रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को यथाशीघ्र वापिस कर दें (कृपया पत्र के अनुच्छेद 21 का संदर्भ लें)।

अतः संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ऊपर उल्लिखित अनुदेश के अनुपालन के बारे में, अर्थात् फार्मों के अधपन्ने में भरने तथा निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में से अनुपूरकों के उद्धरणों को प्रस्तुत करने के पश्चात फार्म 2, 2क या 3 की एक प्रति सम्बन्धित रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को वर्ष में दो बार भेजे जाने के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने चाहिए। इसके उपरान्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस संबंध में, आयोग को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव

सेवा कार्मिक द्वारा घोषणा पत्र

(फार्म 2 या 2क, यथा मामला, में कथन के साथ संलग्न किया जाएगा)

eSa] -----¼cM+s v{kjksa esa uke½ vius ewy LFkku] tgka dk eSa lkekU; :i ls fuoklh gksrk ;fn eS lsok vgZrk /kkjd u gksrk] dh fuokZpd ukekoyh ds vafre Hkkx esa Lo;a dks **vkSj *viuh iRuh** dks lsok ernkrk ds :lk esa iathd`r djokuss ds fy, vius fjdkMZ dk;kZy;@dekaMsV ds ek;/e ls vkosnu dj jgk gw; vkSj eSa pkgrk gwa fd ftl fuokZpu {ks= esa esjk ewy fuokl vkrk gS] mlesa tc dHkh Hkh fuokZpu vk;ksftr fd, tk,a rks eq>s fuokZpu ds le; Mkd er i=@ijks{kh dh lqfo/kk miyC/k djokbZ tk,A

eSa] blds }kjk ;g ?kks”k.kk djrk gw; fd eSa **vkSj *esjh iRuh** us fdlh vU; fuokZpu {ks= dh fuokZpd ukekoyh ds lkekU; Hkkx esa lkekU; fuokZpd@izoklh fuokZpd ds :lk esa ***geus@eSaus** u rks igys ls iathdj.k djok;k gqv k gS vkSj u gh bl rjg ds iathdj.k ds fy, vkosnu fd;k gSA

blds vfrfjDr] eSa ;g ?kks”k.kk djrk gw; fd eSa ml fof/k ls ifjpr gw; ftldss vuqlkj ,d gh fuokZpu {ks= esa ;k fHkUu&fHkUu fuokZpu {ks=ksa esa ,d ls vf/kd LFkkuksa ij fuokZpd ds :lk esa iathd`r gksus ij izfrcU/k gS vkSj ;fn esjk ;**k *esjh iRuh dk uke** vyx&vyx LFkkuksa ij fn[kkbZ iM+rk gS rks esjs ewy LFkku]ftlds fy, eSaus layXu dFku fn;k gS] dh fuokZpd ukekoyh ds vafre Hkkx dks NksM+dj] vU; IHkh LFkkuksa ls gVk fn;k tk,A

सेवाकर्मी के हस्ताक्षर

स्थान :

पदनाम

.....

दिनांक :

* यदि पत्नी का नाम फार्म 2 या 2क, यथास्थिति, में शामिल नहीं है तो उसे हटा दें।

fuokZpd jftLV^ahdj.k fu;e] 1960

iz:lk 2

¼fu;e 7 nsf[k,½

Lk'kL= cyksa ds lnL; }kjk ekewyh fuokl&LFkku ds ckjs esa dFku

eSa ,rn~}kjk ?kks" k.kk djrk gwa fd eSa Hkkjr dk ukxfjd gwa vkSj ;fn l'kL= cyksa esa esjh lsok u gksrh rks eSa &

x`g la- -----

xyh@eksgYyk -----

ifj{ks= -----

uxj@xzke-----

Mkd?kj -----

iqfyl Fkkuk -----

rglhy@rkyqdk -----

ftyk -----

jkT; -----

esjk iwjk uke -----

Isok la- -----iafDr ---

Isok@dksj@jsftesaV -----

vfHkys[k dk;kZy; dk uke vkSj irk -----

fiNys tUe fnu ij vk;q -----
-----o"KZ -----

*eSa ;g vfrfjDr ?kks"kk dkjr gwa fd esjh iRUkh -----
----- ftdh vk;q -----o"KZ gS esjs lKfk
ekewyh rkSj ls fuoklh gS vkSj og Hkkjr dh ukxfjd gSA

ekewyh fuokl&LFkku ds ckjs esa eSaus tks dksbZ dFku bls iwoZ fd;k gS og
,rn~}kjk jn~n gks tkrk gSA

rkjh[k -----
gLrk{kj -----

vfHkys[k dk;kZy; -----

IR;kfir fd;k vkSj Bhd ik;k x;k

Qksfy;ks la- -----

$\frac{1}{4}$ gLrk{kj $\frac{1}{2}$ -----

LFkku -----

$\frac{1}{4}$ inkfHk/kku $\frac{1}{2}$ -----

rkjh[k -----

vfHkys[k Hkkjlk/kd vkfQlj-----

$\frac{1}{4}$ fuokZpu dk;kZy; esa mi;ksx ds fy, $\frac{1}{2}$

dFku -----201-----dks izklr gqvk

-----lHkk fuokZpu&{ks= $\frac{1}{4}$ la- -----

----- $\frac{1}{2}$ ds fy, fuokZpd ukekoyh esa Isok fu;ksftr ernkrk Hkkx

Øe la- -----ij jftLV^ahÑr fd;k x;kA

rkjh[k -----20-----

fuokZpd jftLV^ahdj.k vf/kdkjh

*;fn ykxw u gks rks dkV nhft,A

fuokZpd jftLV^ahdj.k fu;e] 1960

iz:i 2d

¼fu;e 7 nsf[k,½

**jkT; ds l'kDr iqfyl cy ds ,sis InL; }kjk] tks ml jkT; ds ckgj Isok dj jgk gS ekewyh
fuokl&LFkku ds ckjs esa dFku --**

eSa ,rn~}kjk ?kks" k.kk djrk gwa fd eSa Hkkjr dk ukxfjd gwa vkSj uhps of.kZr l'kDr iqfyl cy
esa ;fn esjh Isok jkT; ds ckgj u gksrh rks eSa&

x`g la-

xyh@eksgYyk

ifj{ks=

uxj@xzke

Mkd?kj

iqfyl Fkkuk

rglhy@rkyqd

ftyk

jkT;:

esa ekewyh rkSj Is fuoklh gksrkA

esjk iwjk uke

cDlqvk la-

iafDr

l'kDr iqfyl cy dk uke

dekaMsV ds dk;kZy; dk uke vkSj irk

fiNys tUe fnu ij vk;q

o" kZ

* eSa ;g vfrfjDr ?kks" k.kk djrk gwa fd esjh iRuh

ftldh vk;q o" kZ

<p>gS esjs lkFk] ekewyh rkSj ls fuokl djrh gS vkSj og Hkkjr dh ukxfjd gSA ekewyh fuokl&LFkku ds ckjs esa eSaus tks dksbZ dFku bls iwoZ fd;k gS og ,rn~}kjk jn~n gks tkrk gSA rkjh[k-----20-----</p>	
<p>----- $\frac{1}{4}gLrk\{kj\frac{1}{2}$</p>	
<p>IR;kfir fd;k vkSj Bhd ik;k x;kA</p>	
<p>dekaMsV dk dk;kZy;-----</p>	
<p>Qksfy;ks la- ----- -----</p>	<p>$\frac{1}{4}gLrk\{kj\frac{1}{2}$-----</p>
<p>LFkku----- -----</p>	<p>$\frac{1}{4}inkfHk/kku\frac{1}{2}$-----</p>
<p>rkjh[k-----</p>	<p>dekaMsV</p>
<p>$\frac{1}{4}fuokZpu\ dk;kZy; esa mi;ksx ds fy,\frac{1}{2}$</p>	
<p>dFku-----200-----dks izklr gqvk-----IHkk fuokZpu&{ks= $\frac{1}{4}la$-----$\frac{1}{2}$ ds fy, fuokZpd ukekoyh esa lsok fu;ksftr ernkrk Hkkx Øe la----- -----ij jftLV^ahd`r fd;k x;kA rkjh[k-----20----- ---</p>	
<p>fuokZpd jftLV^ahdj.k vkfQlj</p>	

fuokZpd jftLV^ahdj.k fu;e] 1960

iz:lk 3

$\frac{1}{4}fu;e 7 nsf[k,\frac{1}{2}$

**Hkkjr ds ckgj in ij Hkkjr ljdkj ds v/khu fu;ksftr O;fDr }kjk
ekewyh fuokl&LFkku ds ckjs esa dFku**

iwjk uke-----

firk@ekrk@ifr dk uke -----

vk;q -----o"kZ

Hkkjr ds ckgj /kkfjr in dk o.kZu-----

-

eSa ,rn~}kjk ?kks"k.kk djrk gwa fd eSa Hkkjr dk ukxfjd gwa vkSj ;fn eSa Åij of.kZr in ij Hkkjr ljdkj ds v/khu fu;ksftr u gksrk rks eSa ¼iwjk Mkd irk½ ij ekewyh rkSj ls fuoklh gksrkA

blds vfrfjDr eSa ;g ?kks"k.kk djrk gwa fd esjh iRuh ¼uke½ -----
-----ftldh vk;q ----- o"kZ gS esjs lkFk
ekewyh rkSj ls fuokl djrh gS vkSj og Hkkjr dh ukxfjd gSA

ekewyh fuokl&LFkku ds ckjs esa eSaus tks dksbZ dFku bls iwoZ fd;k gS og ,rn~}kjk jn~n gks tkrk gSA

LFkku -----

gLrk{kj -----

rkjh[k -----

IR;kfir

gLrk{kj -----

dk;kZy; iz/kku dk inuke -----

LFkku -----

rkjh[k -----

¼fuokZpu dk;kZy; esa mi;ksx ds fy,½

dFku] 20 -----dks izklr gqvka

----- fo/kku lHkk fuokZpu {ks=

ds fy, fuokZpd ukekoyh esa iathÑrA

-----Øe la[;k ij lsok ernkrk dh ikVZ la[;kA ¼la- --
-----½

rkjh[k -----

fuokZpd jftLV^ahdj.k vkfQlj

मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पता

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, निर्वाचन कार्यालय भवन, डी.सी. कार्यालय के निकट, पोर्ट ब्लेयर-744107	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, ए.पी. सचिवालय, सी-ब्लॉक, 5वां तल, हैदराबाद-500022	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश, निर्वाचन भवन, ईटानगर-791111
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम, ब्लॉक-1, असम सिविल सचिवालय, दिसपुर कैपिटल कॉम्प्लेक्स गुवाहटी-781006	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, (निर्वाचन विभाग), 7, मेंगाला रोड, पटना-800015	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चंडीगढ़, चतुर्थ तल, संघ शासित क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160017
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन, इंद्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर-492001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दादरा और नागर हवेली, दादरा और नागर हवेली प्रशासन, संघ शासित क्षेत्र, सिलवासा-396230	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दमन और दीव, सचिवालय, दमन और दीव, यू.टी. प्रशासन, मोती दमन-396220
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली, ओल्ड सेन्ट स्टीफेन्स कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा, पुराना प्रशासन कार्यालय, इन्स्टीट्यूट ऑफ सायकियाट्रिक एण्ड ह्यूमन बिहेवियर अतिन्हो, पणजी-403001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात, 7, सरदार भवन, द्वितीय तल, सचिवालय, गांधी नगर-382010
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, कमरा सं. 48, 6वां तल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़-160017	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, ब्लॉक सं.-38, एसडीए कॉम्प्लेक्स, कासुमपटी, शिमला-171009	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू-कश्मीर, द्वितीय तल, विकास भवन, रेल रोड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड, केबिनेट (निर्वाचन विभाग), सेक्टर-2, गायत्री मंदिर के पास एच.ई.सी. धुर्वा, रांची-833404	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक, ओल्ड के.जी.आई.डी. बिल्डिंग एनेक्सी, डॉ. अम्बेडकर वीडु, बंगलौर-560001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल, निर्वाचन विभाग, IIIवां तल, विधायी परिसर, विकास भवन, तिरुअनन्तपुरम-695007
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, कावारत्ती-682555	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन, 17, क्षेत्रीय पहाड़ियां, जेल रोड, भोपाल-462001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र, कमरा सं. 525-527, 5वां तल, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुम्बई-400032
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मणिपुर, इम्फाल-795001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मेघालय, मेघालय सचिवालय, मेन बिल्डिंग, शिलांग-793001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मिजोरम, एजवाल-796001
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नागालैण्ड, डी-ब्लॉक, कोहिमा-797001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा, भाग-V, भुवनेश्वर-751001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुडुचेरी, नं. 64 नेडारजापायेर संत, पुडुचेरी-605101
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब, एम.सी.ओ. नं. 29-30, सेक्टर-17ई, चंडीगढ़-160001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, कमरा नं. 120, वेस्ट नॉर्थ ब्लॉक, सचिवालय, जयपुर-302001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सिक्किम, निर्वाचन विभाग, तिब्बत रोड, गंगटोक-737101
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु, पब्लिक (निर्वाचन-III) विभाग, संत जॉर्ज किला, चेन्नई-600009	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा, सिविल सचिवालय कम्पाउण्ड, डाकघर, अगरतला-799001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय कॉम्प्लेक्स, 2, सुभाष रोड, देहरादून-248001
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, कमरा नं. 415, चौथा तल, विकास भवन, जनपथ मार्किट, हज़रत गंज, लखनऊ-226001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल, बालमेर लाउरी एण्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड की बिल्डिंग में उपभवन कार्यालय, दूसरा एवं तीसरा तल, 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001	

01.01.2016 की अर्हक तिथि के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से सम्बंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का सार पुनरीक्षण।

Summery revision of last part of electoral rolls relating to service voters with reference to 01.01.2016 as the qualifying date.